

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email. nraigarh@ymail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-2229923


क्र. 1145/रा.वि./न.पा.नि./2021

रायगढ़ दिनांक 05-01-2021

—: आदेश :—

राजेश कुमार अग्रवाल प्रदेश मंत्री छ.ग. चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जिला रायगढ़ द्वारा कलेक्टर महोदय दिये गये ज्ञापन को दृष्टिगत रखते हुये तथा चेम्बर के द्वारा कराये गये सर्वे (1000 व्यापारी) के आधार पर जिसमें दिन बुधवार अवकाश चाहने वालों 536 लोगो की राय के 58 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक थी, यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शहर पर अधिकांस व्यापारी प्रतिष्ठान दिन बुधवार को बंद रखने हेतु सहमत है।

एतद् द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसायिक हितों को देखते हुये तथा व्यवसायिक हितों का भी संरक्षित रखते हुये वर्तमान में निगम सीमा के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1958 (गुमस्ता अधिनियम के तहत) पंजीकृत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान प्रत्येक बुधवार के दिन बंद रहेगी। बुधवार के दिन केवल आवश्यक सामाग्री दूध डेयरी, पेट्रोल पेप, एल.पी.जी. गैस, मेडिकल स्टोर्स अपने निर्धारित समय में खुले रहेंगे। समस्त प्रतिष्ठानों दुकान को कोरोना वायरस से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेशों का पालन उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 1888 के तहत कार्यवाही की जावेगी।


05.01.2021
आयुक्त

नगर पालिक निगम,


रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 05-01-2021

क्रमांक 1145/रा.वि./न.पा.नि./2021

प्रतिलिपि :-

1. मान. महापौर/सभापति/नेताप्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. राजस्व प्रभारी, एम.आई.सी. सदस्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चश्पा हेतु।
8. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को कार्यालय के वेबसाईट में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।


05.01.2021
आयुक्त

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email: nraigarh@gmail.com Website: www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762 222911,

Fax no. 07762-2229923


क्रमांक 1158 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2021

रायगढ़ दिनांक 07/01/2021

:- संशोधित आदेश :-

राजेश कुमार अग्रवाल प्रदेश मंत्री छ.ग. चम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जिला रायगढ़ द्वारा कलेक्टर महोदय दिये गये ज्ञापन को दृष्टिगत रखते हुये तथा चम्बर के द्वारा कराये गये सर्वे (1000 व्यापारी) के आधार पर जिसमें दिन बुधवार अवकाश चाहने वालों 536 लोगों की राय के 58 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक श्री, यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शहर पर अधिकांस व्यापारी प्रतिष्ठान दिन बुधवार को बंद रखने हेतु सहमत है।

एतद् द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 05.01.2021 में आंशिक संशोधन किया जाता है। निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसायिक हितों को देखते हुये तथा व्यवसायिक हितों का भी संरक्षित रखते हुये वर्तमान में निगम सीमा के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान प्रत्येक बुधवार के दिन बंद रहेगी। बुधवार के दिन केवल आवश्यक सामग्री दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, एल.पी.जी. गैस, मेडिकल स्टोर्स के अलावा रेस्टोरेंट/होटल सिनेमा हॉल, दैनिक फुटकर विक्रेता, क्लब/जिम, अपने निर्धारित समय में खुले रहेंगे। समस्त प्रतिष्ठानों/दुकानों को कोरोना वायरस से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेशों का पालन उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188B के तहत कार्यवाही की जावेगी।

 07.01.2021

आयुक्त

नगर पालिक निगम,


रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 07/01/2021

पृ क्रमांक 1158 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2021

प्रतिलिपि :-

1. मान. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. राजस्व प्रभारी, एम.आई.सी. स.स्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चर्षण हेतु।
8. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को कार्यालय के वेबसाईट में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

 07.01.2021